



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262672
CG-DL-E-25042025-262672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2025/ वैशाख 4, 1947

No. 219]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2025/VAISAKHA 4, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2025

सा.का.नि. 258(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड(5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) संशोधन नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय) नियम, 2021, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 2 के परंतुक में, "केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 2023" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- उक्त नियमों के, नियम 3 के उप-नियम (1) में, खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(ज) 'उपदान' में इन नियमों के अधीन संदेय सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान और अवशिष्ट उपदान सम्मिलित है;”।
- उक्त नियमों के, नियम 4 के उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु ऐसे मामले में जहां सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने से ठीक पूर्व छुट्टी पर या अन्यथा या निलंबन के अधीन अपने कर्तव्य से अनुपस्थित था, सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने का दिन ऐसी छुट्टी या अनुपस्थिति या निलंबन का भाग होगा।"

5. उक्त नियमों में, नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"4क. उपदान की रकम पर सीमाएं.- ऐसा सरकारी सेवक जो अधिवर्षिता उपदान या सेवानिवृत्ति उपदान या अनिवार्य सेवानिवृत्ति उपदान पर सेवानिवृत्त हुआ है या जो सेवा से पदच्युत किए जाने या हटाए जाने पर अनुकंपा उपदान प्राप्त कर रहा है, बाद में पुनर्नियोजित होता है, वह अपनी पुनर्नियोजन की अवधि के लिए पृथक उपदान का हकदार नहीं होगा :

परंतु ऐसा सरकारी सेवक जो पहले किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में नियुक्त किया गया था और बाद में उस निकाय या उपक्रम की उचित अनुज्ञा से सरकारी सेवा में नियुक्त किया गया था, वह स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम से उस निकाय या उपक्रम में की गई सेवा के लिए प्राप्त उपदान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त सरकार में की गई सेवा के लिए उपदान का पात्र होगा :

परंतु यह और कि स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में की गई सेवा और सरकार के अधीन की गई सेवा के संबंध में उपदान की कुल रकम, स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम और सरकार में सरकारी सेवक द्वारा की गई संपूर्ण सेवा तथा सरकार से सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त परिलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, स्वीकार्य की गई रकम, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.-1 किसी सरकारी सेवक को सरकार में उचित अनुज्ञा से नियुक्त किया गया माना जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की पूर्व अनुज्ञा से सरकार में सेवा या पद के लिए आवेदन किया था और स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के आदेश में स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित किया गया हो कि कर्मचारी, यथास्थिति, स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम की उचित अनुज्ञा से सरकार में पदभार ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है;

स्पष्टीकरण.-2 किसी स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में की गई सेवा के कारण यदि कोई उपदान हो, तो उसका संदाय संबंधित स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा स्वयं किया जाएगा और सरकार के अधीन सेवा ग्रहण करने से पूर्व उक्त स्वायत्त निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा के लिए उपदान का दायित्व सरकार का नहीं होगा।"

6 उक्त नियमों के नियम 5 में, -

(क) उप-नियम(1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) (क) राष्ट्रपति, किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ जिसके लिए राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी है;

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग का सचिव, किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो उस पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति का अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है; और

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से उस पद से सेवानिवृत्त हुआ है जिसके लिए राष्ट्रपति का अधीनस्थ प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी है;

लिखित आदेश द्वारा, उपदान को पूर्णतः या अंशतः रोकने, और सरकार को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंशतः उपदान में से वसूल करने का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आरक्षित रखते हैं जब किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के बारे में यह पाया जाए कि वह अपने सेवाकाल में गंभीर कदाचार या उपेक्षा का दोषी रहा है:

परंतु इस उप-नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।"

(ख) उप-नियम (2) में,-

(i) खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु जहां उप-नियम(1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाहियां संस्थित जाएं, वह प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करते हुए एक रिपोर्ट उक्त सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।";

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) इस नियम के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी

(घ) राष्ट्रपति से भिन्न किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उप-नियम (1) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रपति के पास होगी और राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अपील पर ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वह ठीक समझें।”।

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) राष्ट्रपति किसी भी समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेखों को मांग सकते हैं और इन नियमों के अधीन पारित किसी भी आदेश का पुनरीक्षण कर सकते हैं और आदेश की पुष्टि, उपांतरण या अपास्त कर सकते हैं या मामले को किसी प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए विप्रेषित कर सकते हैं कि वह आगे ऐसी जांच करें, जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वह ठीक समझें :

परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।”;

(घ) उप-नियम (4) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु विधारित या प्रत्याहृत की जाने वाली उपदान की रकम में वृद्धि करने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न किया गया हो।”;

(ङ) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) उप-नियम (1) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है, यदि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक निम्न के लिए दोषी पाया जाता है,

-

(i) सेवा के दौरान कोई भी भ्रष्ट आचरण;

(ii) शासकीय कर्तव्य के निष्पादन की बाबत या अन्यथा कोई कदाचार; और

(iii) किसी प्रकार का कदाचार जिसके परिणामस्वरूप सरकार को आर्थिक हानि हो या अन्यथा।”;

(च) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-नियम(5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, -

(1) (क) विभागीय कार्यवाहियां उस तारीख को, जिसको आरोपों का विवरण सरकारी सेवक को जारी किया गया है अथवा यदि सरकारी सेवक किसी पूर्वतारिख से निलंबित कर दिया गया है तो ऐसी तारीख को, संस्थित हुई समझी जाएंगी; तथा

(ख) न्यायिक कार्यवाहियां,-

- (i) दांडिक कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको किसी पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट, जिसका मजिस्ट्रेट संज्ञान करता है, की गई हो, और
 - (ii) सिविल कार्यवाहियों की दशा में, उस तारीख को संस्थित हुई समझी जाएंगी जिसको वादपत्र न्यायालय में पेश किया जाता है।
- (2) "कदाचार" पद से, सरकारी सेवक द्वारा सेवा की अवधि के दौरान किया गया या नहीं किया गया कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है और जो केंद्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियम, 1964 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन था, जिसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन, सेवा की अवधि के दौरान कार्रवाई की जा सकती है।
- (3) "सिविल कार्यवाहियां" पद से, ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत होंगी, जो केवल सरकार द्वारा दायर सिविल वाद की बाबत हों।

7. उक्त नियमों के नियम 6 में, -

(क) उप-नियम (2) में,-

- (i) "संदेय है या" शब्दों के पश्चात, "चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी पर या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) परंतुक में, "[उप-नियम (5) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि से भिन्न]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[उप-नियम (5) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि और उप-नियम (9) या उप-नियम (10) में निर्दिष्ट वेतन में कल्पित वृद्धि से भिन्न]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (5) में,-

- (i) "अर्जित छुट्टी" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां कहीं वे आते हों, "छुट्टी" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (6) में,-

- (i) "केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग" शब्दों के स्थान पर, "सरकार के उसी अथवा किसी अन्य विभाग के काडर-बाह्य पद पर" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -
 "परंतु किसी सरकारी सेवक की दशा में, जो प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर काडर-बाह्य पद से कार्यमुक्त होने के बाद छुट्टी पर हो, तो वह वेतन जो उसे मूल विभाग से मिलता यदि वह छुट्टी पर न होता परिलब्धियां माना जाएगा।";
- (घ) उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -
 "(7) राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अथवा विदेश सेवा में रहते हुए सरकारी सेवक द्वारा लिया गया वेतन परिलब्धियां नहीं माना जाएगा, किन्तु वह वेतन जो उसने केंद्रीय सरकार के अधीन लिया होता यदि वह राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में न गया होता केवल उसे परिलब्धियां माना जाएगा।";

(ङ) उप-नियम (8) में "सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित किया जाता है" के पश्चात, "और पिछली सेवा के लिए पेंशन को प्रतिधारित करने का विकल्प करता है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) उप-नियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(9) जहां किसी सरकारी सेवक का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से कल्पित रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे कल्पित वेतन को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा, अर्थात्:-

- (i) जिस पब्लिक सेक्टर से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में कल्पित आधार पर नियत किया जाता है;
 - (ii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को समीक्षा विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से प्रोन्नत किया जाता है और ऐसी प्रोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को कल्पित आधार पर मंजूर किया जाता है।
- (10) जहां किसी सरकारी सेवक की मृत्यु, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव केवल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता, तो इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को कल्पित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियां माना जाएगा।”।

8. उक्त नियमों के नियम 7 में, -

(क) उप-नियम (2) में,-

- (i) "संदेय है या" शब्दों के पश्चात्, "चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर असाधारण छुट्टी पर या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) परंतुक में, "[उप-नियम (4) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि से भिन्न]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर, "[उप-नियम (4) में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि और उप-नियम (5) या उप-नियम (6) में निर्दिष्ट वेतन में कल्पित वृद्धि से भिन्न]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, निम्नलिखित उदाहरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उदाहरण: कोई सरकारी सेवक तारीख 16 जुलाई, 2019 को सेवानिवृत्त होता है। अंतिम दस मास में नौ पूरे मास और सितंबर, 2018 के चौदह दिन और जुलाई, 2019 के सोलह दिन के भाग हैं। भिन्नीय अवधि के लिए परिलब्धियों की गणना परिलब्धि को 14/30 और 16/30 से गुणा करके, मास में दिन जितने भी हो, संगणित की जाएगी। यह सूत्र फरवरी के मास में भी लागू होगा, भले ही मास में अठाइस दिन हों या उनतीस दिन हों।”;

(ग) उप-नियम (4) में,-

- (i) “अर्जित छुट्टी” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां कहीं वे आते हों “छुट्टी” शब्द रखा जाएगा;
- (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(घ) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(5) जहां किसी सरकारी सेवक का वेतन उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान भूतलक्षी प्रभाव से कल्पित रूप में बढ़ाया जाता है, ऐसे कल्पित वेतन को, इस नियम के

प्रयोजनार्थ उसकी औसत परिलब्धियों के अवधारण के लिए लेखे में लिया जाएगा,-

(i) जिस पब्लिक सेक्टर से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है उसका वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से ऐसी तारीख से बढ़ाया जाता है जब पेंशनभोगी सेवा में था और ऐसी तारीख से उसका वेतन उच्चतर वेतनमान में कल्पित आधार पर नियत किया जाता है;

(ii) सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को समीक्षा विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश पर अथवा किन्हीं विभागीय कार्यवाहियों से दोषमुक्त किए जाने पर अथवा किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में भूतलक्षी तारीख से प्रोन्नत किया जाता है और ऐसी प्रोन्नति की तारीख से वेतन निर्धारण का लाभ पेंशनभोगी को कल्पित आधार पर मंजूर किया जाता है।

(6) जहां किसी सरकारी सेवक की मृत्यु, दंड की अवधि के दौरान हो जाती है, जिसका प्रभाव केवल उस दंड की अवधि के दौरान उसके वेतन को कम करने का है और जिसके समाप्त होने पर उक्त दंड के किसी भी प्रभाव के बिना उसे अनुज्ञेय वेतन वापस मिल जाता तो इस नियम के प्रयोजनार्थ औसत परिलब्धियों को अवधारित करने के लिए इस तरह के दंड के प्रभाव की उपेक्षा करते हुए उसकी सेवा के अंतिम दस मास के दौरान कल्पित वेतन को ध्यान में रखा जाएगा।”।

9. उक्त नियमों में, नियम 9 के उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“9क. राज्य सरकारों में सेवा - (1) राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जहां इन नियमों के समान सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के उपबंध उस राज्य के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, और जिसे किसी ऐसी सेवा में या पब्लिक सेक्टर पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाता है, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा अर्हक होगी:

परंतु उस सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई लगातार सेवा, जिस सेवा के पश्चात् यदि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो, अर्हक होगी।

(2) राज्य सरकार के किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जहां इन नियमों के समान सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के उपबंध उस राज्य के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, राज्य सरकार की सेवा से अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात्, उचित अनुज्ञा से नियुक्ति हुई हो, उस राज्य सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई लगातार सेवा इस शर्त के अधीन अर्हक होगी कि सरकार के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई सेवा के पश्चात् राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार में व्यवधान रहित रूप में अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी सरकारी सेवक को सरकार में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के साथ सरकार में सेवा या पब्लिक सेक्टर लिए आवेदन किया था और राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी राज्य सरकार की उचित अनुज्ञा लेकर सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन आने वाले मामलों में उपदान का दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार से आनुपातिक उपदान की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

9ख. स्वायत्त निकायों में सेवा - (1) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में जिसकी, प्रारंभ में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में नियुक्ति हुई हो, जहां इन नियमों के समान सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के उपबंध कर्मचारियों पर लागू होते हैं, और उक्त स्वायत्त निकाय से उसके त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात्, जिसे केंद्रीय सरकार की किसी ऐसी सेवा में या पब्लिक सेक्टर पर, जिसे ये नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा लेकर तत्पश्चात् नियुक्त

किया गया था, उक्त स्वायत्त निकाय के अधीन स्थानापन्न या अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में की गई सेवा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अर्हक सेवा होगी, अर्थात्:-

(क) केंद्रीय सरकार में स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में उस सरकारी सेवक की नियुक्ति के पश्चात् व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;

(ख) सरकारी सेवक त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए उक्त स्वायत्त निकाय से अलग से सेवानिवृत्ति उपदान आहरित नहीं कर रहा है; और

(ग) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके उक्त स्वायत्त निकाय द्वारा उपदान देयता का निर्वहन किया गया है।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी सरकारी सेवक को सरकार में उचित अनुज्ञा के साथ नियुक्त किया गया समझा जाएगा यदि उसने स्वायत्त निकाय की पूर्व अनुज्ञा के साथ सरकार में सेवा या पब्लिक सेक्टर लिए आवेदन किया था और स्वायत्त निकाय का आदेश स्पष्ट रूप से उपदर्शित करता है कि कर्मचारी स्वायत्त निकाय की उचित अनुज्ञा लेकर सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर में कार्यग्रहण करने के लिए त्यागपत्र दे रहा है।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, केंद्रीय सरकार में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।”

11. उक्त नियमों के, नियम 12 में,-

(क) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के।”;

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड(ii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए, चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी और इस नियम के परंतुक के अधीन अर्हक सेवा के रूप में गणना के लिए अनुज्ञेय असाधारण छुट्टी से भिन्न अन्य असाधारण छुट्टी की दशा में, ऐसी छुट्टी की मंजूरी देने के समय, सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात् की जा सकेगी, किंतु अधिवर्षिता पर सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व, के पश्चात् नहीं की जा सकेगी और यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।”।

12. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“13. प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना- (1) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे समूह ग पब्लिक सेक्टर पर नियमित नियुक्ति से पूर्व कोई विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित था और ऐसे प्रशिक्षण के दौरान वेतनमान में वेतन या वृत्तिका या अभिहित भत्ता प्राप्त कर रहा था, ऐसे प्रशिक्षण की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन समाविष्ट न होने की दशाओं में, सरकार आदेश द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगी कि उस सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी या नहीं।

(3) जहां सरकार के अधीन सेवा में नियुक्ति से ठीक पूर्व सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाती है, प्रशिक्षण और नियमित नियुक्ति विभिन्न स्टेजों पर होने के कारण हुआ ऐसा व्यवधान,

जो स्थानांतरण के नियमों के अधीन अनुज्ञेय कार्यग्रहण समय से अनधिक हो, भी इन नियमों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा।

(4) जहां प्रशासनिक कारणों से व्यवधान की अवधि, कार्यग्रहण समय की अवधि से अधिक हो, कार्यग्रहण समय से अधिक ऐसी व्यवधान की अवधि को छुट्टी मंजूर कर, यदि शेष हो, या यदि शेष न हो, तो असाधारण छुट्टी की मंजूरी दे कर विभागाध्यक्ष द्वारा विनियमित किया जाएगा और असाधारण छुट्टी मंजूर करके नियमित की गई व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।”।

13. उक्त नियमों के नियम 14 को नियम 14(1) संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में करने के लिए, परिसीमा, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट करने के लिए आदेश पारित करेगा और इस विषय में सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की जाएगी।”।

14. उक्त नियमों के नियम 17 के उप-नियम(2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2क) पदत्याग स्वीकार करने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाना चाहिए कि सरकारी सेवक ने समुचित अनुज्ञा से अन्य नियुक्ति ग्रहण करने के लिए पदत्याग किया है और सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में इस आशय की विशिष्ट प्रविष्टि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भी की जाएगी।”

15. उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम(1), में खंड(ग) में, “अनिवार्य सेवानिवृत्ति”, शब्दों के स्थान पर “अधिवर्षिता” शब्द रखा जाएगा।

16. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम(3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ करने पर विचार कर सकेगा और व्यवधान-पूर्व सेवा को अर्हक सेवा के रूप में माना जा सकेगा।

(5) केवल अपवादी और गंभीर परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में व्यवधान को माफ नहीं करने का निर्णय ले सकेगा।

(6) सरकारी सेवक को अपना पक्ष रखने का और व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना, सेवा में व्यवधान की माफी नहीं देने का ऐसा कोई आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाएगा।”।

17. उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम(3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उप-नियम (1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्हक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को सौंपी जाएगी।”।

18. उक्त नियमों के नियम 22 में,-

(क) उप-नियम(2) में, पहले परंतुक में, “बीस”, शब्द के स्थान पर “पच्चीस” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम(3) में, पहले परंतुक में, “शास्तिस्वरूप कम किए जाने से अन्यथा”, शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (5) में, खंडों (viii) और (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;”;

(घ) स्पष्टीकरण (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इस नियम के अधीन अर्हक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग, जो तीन मास के बराबर या उससे अधिक हो, को संपूरित षट्मासिक अवधि माना जाएगा और उसकी गणना अर्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

(1क) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में जिसने चार वर्ष और नौ मास या अधिक किन्तु पांच वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा दी है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ उसकी अर्हक सेवा पांच वर्ष की होगी और वह उप-नियम(1) के अनुसार सेवानिवृत्ति उपदान के लिए पात्र होगा।”।

19. उक्त नियमों के नियम 23 में,-

(क) उप-नियम(4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) (क) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, नामनिर्देशन करते समय, जिसका नियम 22 के उप-नियम(5) में यथानिर्दिष्ट, कोई कुटुंब न हो, उप-नियम(1) के खंड(ii) के परंतुक के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा जब उस सरकारी सेवक का बाद में कोई कुटुंब हो जाए;

(ख) जहां नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी सेवक के कुटुंब में केवल एक ही सदस्य हो और उसके पक्ष में नामनिर्देशन किया गया हो, बाद में सरकारी सेवक के परिवार में एक और सदस्य आ जाने की दशा में, सरकारी सेवक द्वारा उप-नियम(3) के खंड(i) के दूसरे परंतुक के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया वैकल्पिक नामनिर्देशन, यदि कोई हो, अविधिमान्य हो जाएगा किन्तु सरकारी सेवक द्वारा उप-नियम(1) के खंड(i) के अधीन कुटुंब के एक सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन प्रभावित नहीं होगा;

(ग) उप-नियम(1) के खंड(ii) के अधीन एक अविवाहित सरकारी सेवक द्वारा नियम 22 के उप-नियम(5) में विनिर्दिष्ट कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी सेवक पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और उप-नियम(5) के अनुसार नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।”;

(ख) उप-नियम (7) के खंड(ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) नामनिर्देशन प्ररूप की सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रति सरकारी सेवक को वापिस की जाएगी जिसे वह अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।”।

20. उक्त नियमों के नियम 24 के उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(5) यदि किसी नामनिर्देशिनी की मृत्यु सरकारी सेवक के पूर्व हो जाती है और नियम 23 के उप-नियम(3) के अधीन उस नामनिर्देशिनी को प्रदत्त अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है या इसमें उल्लिखित किसी भी आकस्मिकता के घटित होने पर नामनिर्देशन अविधिमान्य हो जाता है, तो ऐसे नामनिर्देशिनी के संबंध में उपदान का हिस्सा कुटुंब के अन्य सभी सदस्यों को समान रूप से संवितरित किया जाएगा, जो सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख पर पात्र और जीवित थे, इसमें परिवार के वे सदस्य भी हैं जिनके पक्ष में उपदान की शेष रकम का संदाय करने के लिए नामनिर्देशन किया गया है।

(6) यदि इस नियम के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के एक से अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कुटुंब के किसी सदस्य ने उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो उपदान की मंजूरी के लिए मामले पर उसका दावा प्राप्त होने के बाद कार्रवाई की जा सकती है और उपदान की मंजूरी के लिए कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर कुटुंब के उस सदस्य के मामले से जोड़े बिना, कार्रवाई की जा सकती है, जिसने दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

21. उक्त नियमों के नियम 25 के उप-नियम(3) के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी सेवक की हत्या या हत्या का दुष्प्रेरण करने के आरोप में आत्महत्या द्वारा मृत्यु के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप भी सम्मिलित होगा।”

22. उक्त नियमों के नियम 28 के परंतुक में,-

(क) “केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों, जहां कहीं वे आते हों, के स्थान पर “केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 2021” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) “केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों जहां कहीं वे आते हों, के स्थान पर “केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 2023” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

23. उक्त नियमों के नियम 29 में, “सेवानिवृत्त किया जाता है” शब्दों के पश्चात, “या” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

24. उक्त नियमों के नियम 30 में उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली उपदान की मात्रा से संबंधित आदेश अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी किया जाएगा। जहां उप-नियम (1) के अधीन दी जाने वाली उपदान की मात्रा से संबंधित ऐसा आदेश यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश के साथ जारी नहीं किया जाता है, सरकारी सेवक को पूरी अधिवर्षिता उपदान की दो-तिहाई की दर से अनंतिम उपदान शीघ्र संस्वीकृत किया जायेगा।

(4) जहां सरकारी सेवक को उप-नियम (3) के अधीन अनंतिम उपदान संस्वीकृत किया जाता है, वहां उप-नियम (1) के अधीन अंतिम उपदान संदाय करने का आदेश, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने के तीन मास के भीतर, जहां आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जारी किया जाएगा।”

25. उक्त नियमों के नियम 31 को, उप-नियम (1) संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) सक्षम प्राधिकारी, या तो स्वयं या सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जांच करेगा कि क्या अनुकंपा उपदान मंजूर किया जा सकता है और इस बाबत, उप-नियम (1) के परंतुक के अनुसार, सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी होने की तारीख से तीन मास के भीतर निर्णय लेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी,-

(क) सेवा से पदच्युत करने या हटाने के प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार करेगा कि क्या वह मामला अनुकंपा भत्ते की संस्वीकृति के लिए विशेष विचार करने लायक है और, यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी।

(ख) इस प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ, वास्तविक अवचार, जिसके कारण सेवा से पदच्युत करने या हटाने की शास्ति अधिरोपित की गई और सरकारी सेवक द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखेगा।

(ग) आपवादिक परिस्थितियों में, अन्य सुसंगत बातों के साथ-साथ सरकारी सेवक पर आश्रित परिवार के सदस्यों जैसे कारकों पर विचार करेगा।”

26. उक्त नियमों के नियम 32 में,

(क) उप-नियम (4) के खंड(ख) में “पेंशन” शब्द के स्थान पर “उपदान” शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(7) सरकार के किसी विभाग के किसी पब्लिक सेक्टर या स्वायत्त निकाय के उपक्रम में संपरिवर्तित होने पर सरकारी सेवक की आमेलन होने की दशा में, उप-नियम(4) और (5) लागू होंगे।”।

27. उक्त नियमों के नियम 32 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“32क. राज्य सरकार में या उसके अधीन आमेलित किए जाने पर उपदान- (1) ऐसा सरकारी सेवक, जिसे किसी राज्य सरकार में या उसके अधीन किसी सेवा या पब्लिक सेक्टर में आमेलित किए जाने की अनुज्ञा दे दी गई है, ऐसे आमेलन की तारीख से केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ समझा जाएगा और, उप-नियम (6) के अध्याधीन, ऐसा आमेलन होने पर, नियम 22 के अनुसार, आमेलन की तारीख को अर्हक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति उपदान और परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए पात्र होगा;

परंतु राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर, सरकार के अधीन की गई सेवा और राज्य सरकार में की गई सेवा की बाबत उपदान की कुल रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो सरकारी सेवक को तब अनुज्ञेय होती जब वह केंद्रीय सरकार की सेवा में बना रहता और उसी वेतन पर सेवानिवृत्त होता जो उसे राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त हुआ।

(2) आमेलन की तारीख, -

(i) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में तत्काल आमेलन के आधार पर कार्यभार ग्रहण करता है, वह तारीख होगी जब वह वस्तुतः उस सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है। इस प्रयोजन के लिए, तत्काल आमेलन का अर्थ होगा केंद्रीय सरकार की सेवा से सरकारी सेवक के तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति ताकि वह राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण कर सके, जिसके लिए उसने उचित अनुज्ञा के साथ आवेदन किया था;

(ii) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो किसी राज्य सरकार में प्रारंभ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करता है वह तारीख होगी जब से उसका बिना-शर्त त्यागपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

(3) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जो तत्काल आमेलन के आधार पर राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करता है, कार्यमुक्ति आदेश प्ररूप 3 में जारी किया जाएगा जो उस अवधि को उपदर्शित करेगा जिसके भीतर सरकारी सेवक को राज्य सरकार में कार्यग्रहण करना होगा :

परंतु ऐसी अवधि को कार्यमुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(4) कार्यमुक्ति की तारीख और राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की अवधि को शोध्य छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा और यदि ऐसी कोई शोध्य छुट्टी नहीं हो, अवधि को असाधारण छुट्टी की अनुज्ञा देकर विनियमित किया जा सकेगा।

(5) कार्यमुक्त करने वाला प्राधिकारी, सेवानिवृत्ति हितलाभों की संस्वीकृति की कार्यवाही करने से पूर्व, राज्य सरकार में सरकारी सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सुनिश्चित करेगा और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से सरकारी सेवक का त्यागपत्र स्वीकार करेगा।

(6) इन नियमों के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान के समान उपबंध यदि उस राज्य सरकार में विद्यमान है जिसमें सरकारी सेवक आमेलित किया जाता है, वह निम्न विकल्प देने का हकदार होगा,-

(क) उप-नियम (1) के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त

करने के लिए; या

(ख) उपदान की मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की गणना उस राज्य सरकार में करने के लिए।

(7) किसी सरकारी सेवक के राज्य सरकार में आमेलित किए जाने पर और राज्य सरकार से सेवानिवृत्ति होने पर, उप-नियम (6) के खंड (ख) में दिए विकल्प का प्रयोग करने पर, संपूर्ण सेवा के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार में की गई सेवा सम्मिलित है, उपदान का संदाय उस सरकार द्वारा किया जाएगा और आनुपातिक पेंशन का कोई दायित्व केंद्रीय सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।”।

28. उक्त नियमों के नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“33. लापता सरकारी सेवक की दशा में उपदान का संदाय,- (1) किसी सरकारी सेवक के लापता होने या सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के नियम 22 के उप-नियम(1) के अधीन अनुज्ञेय सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान की रकम सेवानिवृत्ति के पश्चात्, सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त किए बिना ही दिवंगत होने वाले सरकारी सेवक की दशा में यथालागू रीति से तथा पात्रता शर्तों के अधीन, कुटुंब के किसी सदस्य या सदस्यों को देय होगी।

(2) सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए दावे,-

(क) उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए पात्र कुटुंब के सदस्य या सदस्यों और नामनिर्देशितियों द्वारा दावे, संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ख) दावों के साथ प्रोफार्मा-ख में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट कि इस विषय में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी सेवक या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी का पता नहीं लगाया जा सका, प्रत्येक की प्रति संलग्न होगी।

(3) किसी सरकारी सेवक के लापता होने की दशा में, सेवानिवृत्ति उपदान के लिए परिलब्धियां, उसके लापता होने से पहले कर्तव्य पर रहने की अंतिम तारीख अथवा, यदि वह अवकाश पर था, तो जिस तारीख को उसे संस्वीकृत छुट्टी समाप्त हो गई, पर वेतन और परिलब्धियों के आधार पर नियम 22 के अनुसार अवधारित की जाएंगी।

(4) (क) सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का भुगतान, संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से छह मास की अवधि बीतने से पूर्व नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि उपदान के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो दावा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा और नियम 44 के अनुसार, उपदान के भुगतान में ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाएगा।

(ख) सरकारी सेवक के लापता होने की दशा में, सरकारी सेवक की मृत्यु की पूर्णतः पुष्टि के पश्चात् या पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, मृत्यु उपदान देय होगा।

(ग) मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर का भुगतान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से तीन मास के भीतर, इन नियमों के अनुसार मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए पात्र व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय होगा।

(घ) यदि मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के भुगतान में विलंब हो जाए और यह विलंब प्रशासनिक चूक या कारणों से हुआ हो, तो मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम के बीच के अंतर के लिए दावा प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास की अवधि से आगे, और देरी होने की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(ड) सेवानिवृत्ति उपदान की मंजूरी देने के लिए, कार्यालयाध्यक्ष प्ररूप 5 में कार्रवाई करेगा।

(5) कार्यालयाध्यक्ष, उपदान के भुगतान की मंजूरी देने से पूर्व नियम 45 के अनुसार सरकारी सेवक के सापेक्ष बकाया सरकारी शोध्यों का आकलन करेगा और उसकी वसूली करवाएगा।

(6) इस नियम की कोई भी बात ऐसे सरकारी सेवक या पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी की दशा में लागू नहीं होगी जो लापता हो गया हो और जिसके विरुद्ध कपट या गबन या किसी अन्य अपराध के आरोप की जांच चल रही हो या जिस पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो या दोषसिद्ध हो।

(7) इस नियम के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भी भुगतान प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।”।

29. नियम 35 के उप-नियम(1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) कार्यालयाध्यक्ष, अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, ऐसे प्रत्येक सरकारी सेवक, जिसके कब्जे में कोई सरकारी आवास है या था (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवंटिती कहा गया है) से सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के तुरंत बाद, “बेबाकी प्रमाणपत्र” जारी किए जाने के लिए, लिखेगा।”।

30. उक्त नियमों के, नियम 41 में,-

(क) उप-नियम (2) में “दो मास” शब्दों के स्थान पर, “प्ररूपों को जमा कराने की तारीख से एक मास” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(9) सेवानिवृत्ति उपदान के संदाय की संस्वीकृति में विलंब होने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह इस नियम के अनुसार अनंतिम उपदान संस्वीकृत करे।”।

31. उक्त नियमों के, नियम 42 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ख) में “तीन मास” शब्दों के स्थान पर “पैंतालीस दिन” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त होने की तारीख से केवल चौबीस मास पूर्व की अवधि की, उस तारीख से पूर्व की किसी अन्य अवधियों की नहीं, परिलब्धियों की शुद्धता की जांच करेगा।”;

(ख) उप-नियम (2) में, “नियम 45 में निर्दिष्ट सरकारी शोध्य” शब्दों और अंकों के पश्चात् “और नियम 46 के उप-नियम (5) के अधीन संपदा निदेशालय द्वारा सूचित विधारित उपदान की रकम” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4)(क) यदि सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित हैं तो विभागाध्यक्ष, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों पर पारित किए गए अंतिम आदेशों की प्रति उक्त आदेशों के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के

भीतर, सभी सुसंगत व्यौरों सहित, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेशों की प्रति लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(ख) विभागाध्यक्ष से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेशों की प्रति की अभिप्राप्ति होने पर, लेखा अधिकारी उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों के विषय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को उपदान का संदाय प्राधिकृत करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

32. उक्त नियमों के नियम 43 में “इस नियम” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “इन नियमों” शब्द रखे जाएंगे।

33. उक्त नियमों के नियम 44 के, उप-नियम (2), उप-नियम (3) तथा उप-नियम (4) और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उपदान जिसके अंतर्गत अनंतिम उपदान भी है, के विलंबित संदाय के प्रत्येक मामले पर, मंत्रालय या विभाग के कर्मचारियों और इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों की बाबत उस मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, द्वारा विचार किया जाएगा और यदि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि उपदान के संदाय में विलंब प्रशासनिक कारणों या चूक के कारण हुआ था, तो उक्त सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ब्याज के संदाय की मंजूरी देगा।

(3) (क) उप-नियम(2) के अधीन सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज का संदाय मंजूर कर दिए जाने के पश्चात् प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय, ब्याज के संदाय के लिए मंजूरी पत्र जारी करेगा।

(ख) उपदान के विलंबित संदाय पर ब्याज का संदाय, सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के ब्याज के संदाय की मंजूरी देने की तारीख से दो मास के भीतर देय होगा।

(4) ऐसे सभी मामले जिनमें प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज के संदाय की मंजूरी दी गई है, ऐसा मंत्रालय या विभाग या कार्यालय उस सरकारी सेवक या उन कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करेगा जो प्रशासनिक चूक के कारण उपदान या पेंशन या कुटुंब पेंशन के संदाय में विलंब के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करेगा:

परंतु उप-नियम(3) के अधीन ब्याज का संदाय, अनुशासनिक कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना किया जाएगा।

(5) उप-नियम(1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पेंशन या उपदान के संदाय में विलंब होने पर जिस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:-

(क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए सरकारी सेवक की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से, उपदान दोनों के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ख) अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले या सेवानिवृत्त हुए या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में आमेलित अथवा सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिवंगत हुए सरकारी सेवक की दशा में, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या आमेलन या मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से, उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज संदेय होगा;

(ग) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे नियम 5 के उप-नियम(2) के खंड(ख) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और जो ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से दोषमुक्त हो गया है, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख के बाद की तारीख से उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(घ) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे नियम 5 के उप-नियम(2) के खंड(ख) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति पर सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त न होने के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति उपदान के पूर्णतः या अंशतः संदाय की अनुज्ञा देने का निर्णय करता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपदान के संदाय का आदेश जारी किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से उपदान के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(ङ) ऐसे सरकारी सेवक की दशा में, जिसे नियम 5 के उप-नियम(2) के खंड(ख) के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख पर उसके विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां लंबित होने के कारण सेवानिवृत्ति पर उपदान का संदाय नहीं किया गया था और ऐसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां उसकी मृत्यु होने के परिणामस्वरूप बंद कर दी जाती है, मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के बाद की तारीख से उपदान के बकायों के संदाय की तारीख तक ब्याज देय होगा;

(च) जहां सेवानिवृत्ति पर संदत्त उपदान की रकम में वृद्धि होने के कारण सरकारी सेवक को उपदान की बकाया रकम देय हो अथवा परिलब्धियों के पूर्वव्यापी संशोधन अथवा उपदान अनुज्ञा देने से संबंधित उपबंधों में उदारीकरण के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर संदत्त की गई उपदान की बकाया रकम देय हो जाती है, यथास्थिति, परिलब्धियों को संशोधित करने या उपदान की अनुज्ञा से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के आदेश के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति की तारीख से सरकारी सेवक को उपदान की बकाया रकम या उपदान के बकायों के भुगतान की तारीख तक ब्याज देय होगा।”।

34. उक्त नियमों के नियम 45 में,-

(क) उप-नियम(1) में, “सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक” शब्दों के पश्चात “तथा ऐसे सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त हो रहे हैं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण(1) के खंड (क) में, “अधिभोग के लिए नुकसान,” शब्दों के पश्चात “उप किराएदारी, अप्राधिकृत अधिभोग, अपात्र कार्यालय में अंतरण और बिजली, पानी और पीएनजी प्रभार के आधार पर देय रकम या बकाया” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

35. उक्त नियमों के नियम 46 में,-

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“(1) (क) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, नियम 55 के उप-नियम(1) के अधीन “बेबाकी प्रमाणपत्र” जारी करने की बाबत कार्यालयाध्यक्ष से प्रज्ञापना और व्यौरों की प्राप्ति होने पर, संपदा निदेशालय अपने अभिलेखों की संवीक्षा करेगा और दो मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को यह सूचना देगा कि सरकारी सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य है या नहीं;

(ख) सेवानिवृत्त हुए अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से अन्यथा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की दशा में, यदि सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य थी तो संपदा निदेशालय नियम 55 के उप-नियम (2) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष से सूचना और व्यौरा प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा;

(ग) यदि कार्यालयाध्यक्ष को नियत तारीख तक बकाया अनुज्ञप्ति फीस की वसूली की बाबत कोई प्रज्ञापना प्राप्त नहीं होती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि आवंटिती से उसकी अधिवर्षिता की तारीख से आठ मास पूर्व की अवधि की बाबत या अन्य मामलों में सेवानिवृत्ति की तारीख तक कोई अनुज्ञप्ति फीस वसूली योग्य नहीं है।”।

(ख) उप-नियम (2) में “कार्यालयाध्यक्ष” शब्द से पूर्व, “अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने के मामले में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

“(7) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में, कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अगले आठ मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस, अर्थात्, आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के वेतन और भत्तों में से प्रतिमास वसूल की जाती है। जहां उप-नियम(1) में वर्णित अवधि की बाबत वसूलीयोग्य अनुज्ञप्ति फीस की रकम संपदा निदेशालय द्वारा प्रज्ञापित की जाती है वहां कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि बकाया अनुज्ञप्ति फीस आवंटिती के चालू वेतन और भत्तों में से किशतों में वसूल की जाती है और जहां वेतन और भत्तों से पूरी रकम वसूल नहीं की जाती है वहां अतिशेष को उपदान में से उसका संदाय प्राधिकृत करने के पूर्व वसूल किया जाएगा। संपदा निदेशालय आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् अनुज्ञेय अवधि के लिए सरकारी आवास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञप्ति फीस की रकम कार्यालयाध्यक्ष को सूचित करेगा और कार्यालयाध्यक्ष उस अनुज्ञप्ति फीस के साथ वसूल न की गयी ऐसी अनुज्ञप्ति फीस का, यदि कोई हो, जो उप-नियम(3) में वर्णित है, समायोजन उपदान की रकम में से करेगा। यदि किसी विशेष मामले में संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो वह निदेशालय कार्यालयाध्यक्ष को सूचना देगा कि उपदान का दस प्रतिशत सूचना दिये जाने तक विधारित रखा जाएगा। अनुज्ञप्ति फीस(जहां संपदा निदेशालय के लिए बकाया अनुज्ञप्ति फीस का निर्धारण करना संभव नहीं है) के साथ-साथ नुकसान (आवंटिती की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद अनुज्ञेय अवधि से अधिक सरकारी आवास के कब्जे के लिए) की वसूली संपदा निदेशालय की जिम्मेदारी होगी और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक, जिसके कब्जे में सरकारी आवास है, को उप-नियम (5) के अधीन विधारित उपदान की रकम का संदाय सरकारी आवास को वास्तव में खाली करने के पश्चात् संपदा निदेशालय से ‘बेबाकी प्रमाणपत्र’ प्रस्तुत करने पर तुरंत किया जाएगा।”;

(घ) उप-नियम (8) का लोप किया जाएगा।

36. उक्त नियमों के नियम 47 में,-

(क) उप-नियम (1) में “जो भी पहले हो” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“और अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति की दशा में, सेवानिवृत्ति पर तत्काल या जैसे ही सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति का तथ्य कार्यालयाध्यक्ष को ज्ञात हो, जो भी पहले हो”।

(ख) उप-नियम (2) में, “सरकारी सेवक की” शब्दों के पश्चात्, “अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में” शब्द और “आठ मास पूर्व” शब्दों के पश्चात्, “तथा अधिवर्षिता से अन्यथा सेवानिवृत्ति होने की दशा में, सेवानिवृत्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

37. उक्त नियमों के नियम 48 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“48. मृत्यु उपदान के दावे अभिप्राप्त करना- (1) जहां कार्यालय अध्यक्ष को कोई प्रज्ञापना या सूचना मिलती है कि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गई है वहां कार्यालय अध्यक्ष यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 22 के अधीन मृत सरकारी सेवक की बाबत कोई मृत्यु उपदान, देय हैं या नहीं,-

(क) (i) मृत सरकारी सेवक ने किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को उपदान प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किया था या नहीं; और

(ii) यदि मृत सरकारी सेवक ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया था या जो नामनिर्देशन किया था वह अस्तित्व में नहीं है तो उपदान किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को संदेय हो सकता है।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष प्ररूप 9 में उपदान के लिए दावा करने के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों को, फॉर्मेट 11 में पत्र भेजेगा।

(2) (क) यदि मृत्यु की तारीख को, सरकारी सेवक सरकारी आवास का आवंटिती था, तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख के पूर्व की अवधि की बाबत देय शेष अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ किया जाएगा।

(ख) सरकारी आवास की बाबत नुकसान से संबंधित कोई अन्य शोध्य कुटुंब को देय मृत्यु उपदान से वसूल किए जाएंगे और यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुंब द्वारा सरकारी आवास रख लिया जाता है, तो उस मास, जिसमें सरकारी सेवक की मृत्यु हुई हो और उसके बाद के तीन मासों की अनुज्ञप्ति फीस कुटुंब से वसूल नहीं की जाएगी।

(ग) कार्यालय अध्यक्ष सरकारी सेवक की मृत्यु की प्रज्ञापना या सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, नियम 54 के उप-नियम(1) के उपबंधों के अनुसार “बेबाकी प्रमाणपत्र” जारी किए जाने के लिए संपदा निदेशालय को पत्र लिखेगा।

(3) जहां कार्यालय अध्यक्ष को किसी सरकारी सेवक के लापता हो जाने की प्रज्ञापना प्राप्त होती है वहां वह यह अभिनिश्चित करेगा कि नियम 33 के उपबंधों के अनुसार लापता हुए सरकारी सेवक की बाबत कोई उपदान देय हैं या नहीं।

(4)(क) किसी सरकारी सेवक के लापता होने की दशा में, कार्यालय अध्यक्ष लापता हुए सरकारी सेवक की बाबत उप-नियम(1) के अनुसार कार्यवाही करेगा और उपदान की रकम प्राप्त करने के लिए कुटुंब के पात्र सदस्य को प्ररूप 4 में उपदान के लिए दावा करने के लिए सलाह देगा।

(ख) कार्यालय अध्यक्ष कुटुंब के पात्र सदस्यों को सूचित करेगा कि संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट या दैनिक डायरी प्रविष्टि या सामान्य डायरी प्रविष्टि में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद और पुलिस से इस आशय की रिपोर्ट कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी सेवक का पता नहीं लगाया जा सका, प्राप्त होने के पश्चात् ही उपदान के संदाय के लिए दावा कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ग) दावों के साथ प्रोफोर्मा बी में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई रिपोर्ट की प्रति और पुलिस से प्राप्त इस आशय की रिपोर्ट की प्रति, कि इस संबंध में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद सरकारी सेवक का पता नहीं लगाया जा सका, संलग्न होगी।

(घ) कार्यालय अध्यक्ष किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा नहीं करेगा और सरकारी सेवक की मृत्यु के बारे में किसी भी रूप में प्रज्ञापना या विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर इस नियम के अधीन कार्यवाई शुरू करेगा।”।

38. उक्त नियमों के नियम 49 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

- (i) खंड (क) में, “मृत्यु”, शब्द के पश्चात्, “या लापता होने” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) खंड (ख) में, “मृत”, शब्द के पश्चात्, “या लापता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, खंड (क) और खंड (ख) में, “मृत्यु”, शब्द के पश्चात्, “या लापता होने” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

39. उक्त नियमों के नियम 50 के, खंड (ii), में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे।

40. उक्त नियमों के नियम 53 में,-

(क) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु अपेक्षित जांच पड़ताल करते समय, लेखा अधिकारी सरकारी सेवक की मृत्यु या लापता होने की तारीख से पूर्व के अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए परिलब्धियों की शुद्धता के सत्यापन को सीमित करेगा।”;

(ख) उप-नियम(3) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ग) यदि उपदान प्राप्त करने के लिए कुटुंब के एक के अधिक सदस्य पात्र हैं और यदि कुटुंब के किसी सदस्य ने उपदान के लिए अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो कुटुंब के ऐसे सदस्य के पक्ष में उपदान की निकासी आदेश जारी करने के मामले पर उससे दावा प्राप्त होने के पश्चात् कार्रवाई की जा सकेगी और कुटुंब पेंशन की अनुज्ञा के लिए कुटुंब के अन्य पात्र सदस्यों के मामले पर, उस कुटुंब सदस्य, जिसने प्ररूप 10 में अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है, के मामले से जोड़े बिना कार्रवाई की जा सकेगी।”।

41. उक्त नियमों के नियम 54 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

(I) खंड (i) में,-

(i) “मृत्यु”, शब्द के पश्चात्, “या लापता होने” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) “दो प्रतियों में निम्नलिखित जानकारी भी देगा (एक प्रति भाटक खंड को और दूसरी प्रति आवंटन खंड को भेजी जाएगी)”, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, “संपदा निदेशालय को निम्नलिखित जानकारी भी देगा” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप-खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(ज) सरकारी आवास की बाबत शोध्यों की संगणना करते समय, सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से पहले की अवधि की बाबत देय बकाया अनुज्ञप्ति फीस से संबंधित शोध्यों को माफ कर दिया जाएगा। यदि मृत सरकारी सेवक की मृत्यु के पश्चात् उसके कुटुंब द्वारा सरकारी आवास को रखा जाता है, तो उस महीने, जिसमें सरकारी सेवक की मृत्यु हुई हो और उसके बाद के पहले तीन मास के लिए अनुज्ञप्ति फीस कुटुंब से वसूल नहीं की जाएगी।”;

(II) खंड (iii) में, “चार मास की अवधि” शब्दों के स्थान पर, “अनुमत्य रियायती अवधि” शब्द रखे जाएंगे;

(III) खंड (iv) में, “दो मास” शब्दों के स्थान पर, “एक मास” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, “एक मास” शब्दों के स्थान पर, “पंद्रह दिन” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 59/03/2019-पीएंडपीडब्ल्यू(बी)]

ध्रुवज्योति सेनगुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 658 (अ) तारीख 23 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2025

G.S.R. 258(E). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby

makes the following rules to amend the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Payment of Gratuity under the National Pension System) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, (hereinafter referred to “the said rules”), in rule 2, in the proviso, after the words, brackets and figures “the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939”, the words, brackets and figures “or the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023” shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (1), for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

“(h) ‘gratuity’ includes retirement gratuity, death gratuity and residuary gratuity payable under these rules;”.

4. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in a case where the Government servant immediately before his retirement or death was absent from duty on leave or otherwise or under suspension, the day of retirement or death shall be part of such leave or absence or suspension.”.

5. In the said rules, after rule 4, the following rule and Explanation shall be inserted, namely:-

“4A. Limitations on amount of gratuity.- A Government servant who, having retired on superannuation gratuity or retiring gratuity or compulsory retirement gratuity or who is in receipt of a compassionate gratuity on having been dismissed or removed from service, is subsequently re-employed, shall not be entitled to a separate gratuity for the period of his re-employment:

Provided that a Government servant who was previously appointed in an autonomous body or a public sector undertaking and was subsequently appointed, with proper permission of that body or undertaking, in the Government service, shall be eligible for gratuity for the service rendered in the Government in addition to the gratuity, if any, received by him from the autonomous body or the public sector undertaking for the service rendered in that body or undertaking:

Provided further that the total amount of gratuity in respect of the service rendered in the autonomous body or the public sector undertaking and the service rendered under the Government shall not exceed the amount that would have been admissible taking into account the entire service rendered by the Government servant in the autonomous body or the public sector undertaking and the Government and the emoluments on retirement from Government.

Explanation.-1 A Government servant shall be deemed to have been appointed in the Government with proper permission if he had applied for the service or post in the Government with previous permission of the autonomous body or the public sector undertaking and the order of the autonomous body or the public sector undertaking clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Government with proper permission of the autonomous body or the public sector undertaking, as the case may be;

Explanation.-2 Gratuity, if any, on account of service rendered in an autonomous body or a public sector undertaking shall be paid by the concerned autonomous body or the public sector undertaking itself and there shall be no liability on the part of the Government towards gratuity for the service rendered by the

Government servant in the said autonomous body or the public sector undertaking before joining service under the Government.”.

6 In the said rules, in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) (a) the President, in the case of a Government servant who retired from a post for which the President is the appointing authority;

(b) the Secretary of the Administrative Ministry or Department, in the case of a Government servant who retired from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority; and

(c) the Comptroller and Auditor-General of India in the case of a Government servant who retired from the Indian Audit and Accounts Department from a post for which an authority subordinate to the President is the appointing authority;

may by order in writing, withhold gratuity either in full or in part and order recovery from gratuity of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government, if in any departmental proceedings or judicial proceedings, the retired Government servant is found guilty of grave misconduct or negligence during the period of service:

Provided that the Union Public Service Commission shall be consulted before any final order is passed by the President under this sub-rule.”.

(b) in sub-rule (2),-

(i) in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that where the departmental proceedings are instituted by an authority subordinate to the authority competent to pass order under sub-rule (1), that authority shall submit a report recording its findings to the said competent authority.”;

(ii) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(c) no appeal shall lie against any order made by the President under this rule;

(d) an appeal against an order under sub-rule (1), passed by an authority other than the President, shall lie to the President and the President shall in consultation with the Union Public Service Commission pass such orders on the appeal as he deems fit.”.

(c) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) The President may at any time, either on his own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these rules, after consultation with the Union Public Service Commission, and may confirm, modify or set aside the order, or remit the case to any authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case, or pass such other order as he may deem fit :

Provided that no order enhancing the amount of gratuity to be withheld or withdrawn shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.”;

(d) in sub-rule (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that no order enhancing the amount of gratuity to be withheld or withdrawn, shall be made by the President unless the Government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the order proposed and except after consultation with the Union Public Service Commission.”;

(e) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) Action under sub-rule (1) may be taken, if the retired Government servant is found guilty of,-

(i) any corrupt practices during service;

(ii) any misconduct whether in relation to the performance of official duty or otherwise; and

(iii) any misconduct whether resulting in pecuniary loss to the Government or otherwise.”;

(f) after sub-rule (5) so substituted, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“*Explanation* .- For the purpose of this rule, -

(1) (a) departmental proceedings shall be deemed to be instituted on the date on which the statement of charges is issued to the Government servant or if the Government servant has been placed under suspension from an earlier date, on such date ; and

(b) judicial proceedings shall be deemed to be instituted –

(i) in the case of criminal proceedings, on the date on which the complaint or report of a police officer, of which the Magistrate takes cognizance, is made, and

(ii) in the case of civil proceedings, on the date the plaint is presented in the court.

(2) the expression “misconduct” means any act done or omitted to be done by the Government servant during the period of service and which was in violation of any provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 for which action under the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 may be taken during the period of service.

(3) The expression “civil proceedings” would mean such proceedings in respect of a civil suit filed by the Government only.”.

7. In the said rules, in rule 6,-

(a) in sub-rule (2),-

(i) after the words “payable or”, the words “on extraordinary leave on medical certificate or” shall be inserted;

(ii) in the proviso, for the brackets, words and figures “[other than the increment referred to in sub-rule (5)]”, the brackets, words and figures “[other than the increment referred to in sub-rule (5) and the notional increase in pay referred to in sub-rule (9) or sub-rule (10)]” shall be substituted;

(b) in sub rule (5),-

(i) for the words “earned leave”, at both the places where they occurs, the word “leave” shall be substituted;

(ii) the proviso shall be omitted.

(c) in sub-rule (6),-

(i) for the words “to another Central Government Department and”, the words “to an ex-cadre post in the same or some other Department of the Government” shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in the case of a Government servant while on leave after release from the ex-cadre post on completion of the period of deputation, the pay which he would have drawn in the parent department had he not been on leave shall be treated as emoluments.”;

(d) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(7) The pay drawn by a Government servant while on deputation to a State Government or while on foreign service shall not be treated as emoluments, but the pay which he would have drawn under the Central Government had he not been on deputation to the State Government or on foreign service shall alone be treated as emoluments.”;

(e) in sub-rule (8), after the words “Government service”, the words “elected to retain his pension for earlier service” shall be inserted;

(f) after sub-rule (8), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(9) Where the pay of a Government servant is notionally increased with retrospective effect in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be treated as emoluments, namely:-

(i) the pay scale of the post from which the Government servant retired is increased with retrospective affect from a date when the retired Government servant was in service and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis;

(ii) the retired Government servant is promoted from a retrospective date on the recommendation of a Review Departmental Promotion Committee or on exoneration in any departmental proceedings or in compliance of a court order and the benefit of fixation of pay is allowed to the retired Government servant on notional basis from the date of such promotion.

(10) Where a Government servant dies during the currency of a penalty which has the effect of reducing his

pay only during the currency of that penalty and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without any impact of the said penalty, the notional pay on the date of death ignoring the effect of such penalty shall be treated as emoluments.”.

8. In the said rules, in rule 7,-

(a) in sub-rule (2),-

(iii) after the words “payable or”, the words “on extraordinary leave on medical certificate or” shall be inserted;

(iv) in the proviso, for the brackets, words and figures “[other than the increment referred to in sub-rule (4)]”, the brackets, words and figures “[other than the increment referred to in sub-rule (4) and the notional increase in pay referred to in sub-rule (5) or sub-rule (6)]” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), the following illustration shall be inserted, namely:-

“*Illustration:* A Government servant retires on 16th July, 2019. The last ten months comprise nine full months and fractions of fourteen days of September, 2018 and sixteen days of July, 2019. The emoluments for fractional periods shall be computed by multiplying the emolument by the factor 14/30 and 16/30 irrespective of the number of days in the month. This formula shall also apply in the case of the month of February, irrespective of whether the month has twenty eight days or twenty nine days.”;

(c) in sub rule (4),-

(i) for the words “earned leave” at both the places where they occur, the word “leave” shall be substituted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(d) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) Where the pay of a Government servant is notionally increased with retrospective effect during the last ten months of his service in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be taken into account for determining the average emoluments for the purpose of this rule,-

(i) the pay scale of the post from which the Government servant retired is increased with retrospective affect from a date when the retired Government servant was in service and his pay in the higher pay scale is fixed from such date on notional basis;

(ii) the retired Government servant is promoted from a retrospective date on the recommendation of a review Departmental Promotion Committee or on exoneration in any departmental proceedings or in compliance of a court order and the benefit of fixation of pay is allowed to the retired Government servant on notional basis from the date of such promotion.

(6) Where a Government servant dies during the currency of a penalty which has the effect of reducing his pay only during the currency of that penalty and on expiry of which he would have regained the pay admissible to him without any impact of the said penalty, the notional pay during the last ten months of his service ignoring the effect of such penalty shall be taken into account for determining the average emoluments.”.

9. In the said rules, in rule 9, sub-rule (2) shall be omitted.

10. In the said rules, after rule 9, the following rules shall be inserted, namely:-

“9A. Service in State Governments.- (1) In the case of a Government servant belonging to a State Government, where provisions of retirement gratuity and death gratuity similar to these rules available for its employees, is permanently transferred to a service or post to which these rules apply, the continuous service rendered under the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify:

Provided that the continuous service rendered under that Government in an officiating or temporary capacity shall qualify if that service is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

(2) In the case of a Government servant belonging to a State Government, where provisions of retirement gratuity and death gratuity similar to these rules available for its employees, is appointed with proper permission to a service or post to which these rules apply after acceptance of his resignation from the service of the State Government, the continuous service rendered under the State Government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify, subject to the condition that the service rendered under that Government in an officiating or temporary capacity is followed without interruption by substantive appointment in the State Government or the Central Government.

Explanation.- For the purposes of this rule, a Government servant shall be deemed to have been appointed in the Government with proper permission if he had applied for the service or post in the Government with previous permission of the State Government and the order of the State Government clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Government with proper permission of the State Government.

(3) The liability for gratuity in cases covered under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be borne by the Central Government and no recovery of proportionate gratuity shall be made from the State Government.

9B. Service in autonomous bodies.- (1) In the case of a person who was initially appointed in an autonomous body under the Central Government or a State Government having provision for retirement gratuity and death gratuity similar to these rules for their employees, who is subsequently appointed with proper permission to a service or post in the Central Government to which these rules apply, after acceptance of his resignation from the said autonomous body, the service rendered under the said autonomous body in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify, subject to the following conditions, namely :-

(a) the appointment of that Government servant in an officiating or temporary capacity in the Central Government is followed without interruption by substantive appointment;

(b) the Government servant has not availed a separate retirement gratuity from the said autonomous body for the service rendered in that body before acceptance of resignation; and

(c) the gratuity liability is discharged by the said Autonomous body by paying in lump sum the amount of retirement gratuity for the service rendered in the autonomous body.

Explanation.- For the purposes of this rule, a Government servant shall be deemed to have been appointed in the Government with proper permission if he had applied for the service or post in the Government with previous permission of the Autonomous Body and the order of the Autonomous Body clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the Government with proper permission of the autonomous body.

(2) Service rendered in a public sector undertaking, including nationalised bank and financial institution, before appointment in the Central Government shall not count as qualifying service for the purpose of these rules.”.

11. In the said rules, in rule 12,-

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) for pursuing higher scientific and technical studies.”;

(b) after clause (ii) so substituted, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.-* For the purposes of this rule, in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate and extraordinary leave allowed to be counted as qualifying service under proviso to this rule, at the time of grant of such leave, a definite entry shall be made in the service book of the Government servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than six months before the date of retirement of the Government servant on superannuation and if no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service.”.

12. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

“13. Counting of periods spent on training. - (1) In the case of a Government servant who was required to undergo a departmental training before regular appointment to a Group C post and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or a nominal allowance during such training, the period of such training shall count as qualifying service.

(2) In cases not covered under sub-rule (1), the Government may, by order, decide whether the time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government shall be counted as qualifying service.

(3) Where time spent by a Government servant under training immediately before appointment to service under that Government is counted as qualifying service, interruption due to the training and regular appointment being at different stations, not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer, shall be counted as qualifying service.

(4) Where the period of interruption is in excess of joining time due to administrative reasons, such period of interruption in excess of joining time shall be regularised by grant of leave of the kind due or, if no such leave is due, by grant of extraordinary leave by the Head of Department and the period of interruption regularised by grant of extraordinary leave shall be counted as qualifying service.”.

13. In the said rules, rule 14 shall be numbered as rule 14(1) thereof and after sub-rule (1) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) In all cases of suspension, the competent authority shall pass an order specifying the extent to which, if any, the period of suspension shall count as qualifying service and a definite entry shall be made in the service book of the Government servant in this regard.”.

14. In the said rules, in rule 17, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2A) The order accepting the resignation should clearly indicate that the Government servant has resigned to join another appointment with proper permission and a specific entry to this effect shall also be made by the Head of Office in the service book of the Government servant.”.

15. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (1), in clause (c), for the words “compulsory retirement”, the word “superannuation” shall be substituted.

16. In the said rules, in rule 19, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(4) The appointing authority may consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service.

(5) The appointing authority may take a decision not to condone interruption in service only in exceptional and grave circumstances.

(6) No such order against condonation of interruption in service shall be passed by the appointing authority without extending to the Government servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person.”.

17. In the said rules, in rule 21, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4) By the 31st January of each year, a report shall be submitted to the Secretary of the Administrative Ministry or Department giving the details of the Government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub-rule (1), the details of the Government servants who have actually been issued the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases.”.

18. In the said rules, in rule 22,-

(a) in sub-rule (2), in the first proviso, for the words “ twenty”, the word “twenty five” shall be substituted;

(b) in sub-rule (3), in the first proviso, the words “otherwise than as a penalty” shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), for clauses (viii) and (ix), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(viii) brothers including stepbrothers who are suffering from any disorder or disability of mind including the mentally retarded or physically crippled or disabled without any limit of age and brothers, including stepbrothers, below the age of eighteen years, in other cases;

(ix) unmarried sisters, widowed sisters and divorced sisters including stepsisters,”;

(d) for the Explanation (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) In calculating the length of qualifying service under this rule, fraction of a year equal to three months and above shall be treated as a completed six monthly period and reckoned as qualifying service.

(1A) In the case of a Government servant who has rendered a qualifying service of four years and nine months or more but less than five years, his qualifying service for the purpose of this rule shall be five years and he shall be eligible for retirement gratuity in accordance with sub-rule (1).”.

19. In the said rules, in rule 23,-

(a) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) (a) where a Government servant has no family, as referred to in sub-rule (5) of rule 22, at the time of making a nomination, the nomination made by the Government servant in favour of a person or a body of individuals under clause (ii) of proviso to sub-rule (1) shall become invalid in the event of the Government servant subsequently acquiring a family;

(b) where a Government servant has only one member in his family at the time of making a nomination and a nomination has been made in his favour, in the event of the Government servant subsequently acquiring an additional member in the family, the alternate nomination made by the Government servant in favour of a person or a body of individuals under the second proviso to clause (i) of sub-rule (3), if any, shall become invalid but the nomination made by the Government servant in favour of a member of the family under clause (i) of the proviso to sub-rule (1) shall not be affected;

(c) nomination made by an unmarried Government servant under clause (i) of the proviso to sub-rule (1), in favour of any member of his family specified in sub-rule (5) of rule 22 shall not become invalid on his or her marriage unless the Government servant cancels the earlier nomination and files a fresh nomination in accordance with sub-rule (5).”;

(b) in sub-rule (7), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) A duly signed copy of the nomination form shall be returned to the Government servant for keeping it in his safe custody.”.

20. In the said rules, in rule 24, after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) In case a nominee pre-deceases the Government servant and the right conferred on that nominee has not passed on to any other person under sub-rule (3) of rule 23 or the nomination made in respect of such person does not subsist or the nomination has become invalid on account of happening of any contingency mentioned therein, the share of gratuity in respect of such nominee shall be disbursed equally to all other members of the family who were eligible and alive on the date of death of the Government servant, including the members of the family in whose favour nomination has been made for payment of remaining amount of gratuity.

(6) If there are more than one member of the family eligible to receive gratuity under this rule and if a member of the family has not submitted his claim for gratuity, the case for sanction of gratuity to him may be processed after his claim has been received and the case of other eligible members of the family for sanction of gratuity may be processed without linking it with the case of the family member who has not submitted the claim.”.

21. In the said rules, in rule 25, after sub-rule (3), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“*Explanation.-* For the purposes of this rule, the charge of murder or abetting in the murder of Government servant shall include the charge of abetting death by suicide.”.

22. In the said rules, in rule 28, in the proviso,-

(a) for the words, brackets and figures “the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972” wherever they occur, the words, brackets and figures “the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021” shall be substituted;

(b) for the words, brackets and figures “the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939” wherever they occur, the words, brackets and figures “the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023” shall be substituted.

23. In the said rules, in rule 29, after the figure “2021”, the word “or” shall be inserted.

24. In the said rules, in rule 30, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(3) The order regarding the quantum of gratuity to be granted under sub-rule (1) may be issued simultaneously with the order of imposition of penalty of compulsory retirement and where such an order regarding the quantum of gratuity to be granted under sub-rule (1) is not issued simultaneously with the order of imposition of penalty of compulsory retirement, a provisional gratuity at a rate of two-thirds of full superannuation gratuity shall be sanctioned to the Government servant immediately.

(4) Where a provisional gratuity is sanctioned to the Government servant under sub-rule(3), the order for grant of final gratuity under sub-rule (1) shall be issued in consultation with the Union Public Service Commission, where necessary, not later than three months after the date of issue of the order imposing the penalty of compulsory retirement”.

25. In the said rules, rule 31 shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(2) The competent authority shall either on its own or after taking into consideration the representation of the Government servant, if any, examine whether any compassionate gratuity is to be granted and take a decision in this regard in accordance with the proviso to sub-rule (1) not later than three months after the date of issue of the order imposing the penalty of dismissal or removal from service.

(3) The competent authority shall consider,-

(a) each case of dismissal and removal from service on its merit to decide whether the case deserves of special consideration for sanction of a compassionate gratuity and, if so, the quantum thereof.

(b) the actual misconduct which occasioned the penalty of dismissal or removal from service and the kind of service rendered by the Government servant.

(c) in exceptional circumstances, factors like family members dependent on the Government servant along with other relevant factors.”.

26. In the said rules, in rule 32,-

(a) in sub-rule (4), in clause (b), for the word “ pension”, the word “ gratuity” shall be substituted.

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) The provisions of sub-rules (4) and (5) shall also be applicable in the cases of absorption of Government servant consequent upon conversion of a Government Department into a public sector undertaking or autonomous body.”.

27. In the said rules, after rule 32, the following rule shall be inserted, namely:-

“32A. Gratuity on absorption in or under State Government.- (1) A Government servant, who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a State Government, shall be deemed to have retired from service under the Central Government from the date of such absorption and, subject to sub-rule (6), he shall be eligible, on such absorption, to receive retirement gratuity on the basis of the qualifying service and emoluments on the date of absorption in accordance with rule 22:

Provided that on retirement from the State Government, the total amount of gratuity in respect of the service rendered under the Government and the service rendered in the State Government shall not exceed the amount that would have been admissible had the Government servant continued in the Central Government service and retired on the same pay which he drew on retirement from the State Government.

(2) The date of absorption shall be,-

(i) in case a Government employee joins a State Government on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that Government and for this purpose, immediate absorption shall mean acceptance of a technical resignation of a Government servant from the Central Government service to enable him to take up an appointment in the State Government, for which he had applied with proper permission;

(ii) in case a Government employee initially joins a State Government on deputation, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Central Government.

(3) In the case of a Government employee who joins a State Government on immediate absorption basis, the relieving order shall be issued in Form 3 which shall indicate the period within which the Government servant shall join the State Government:

Provided that this period may be extended by the relieving authority for reasons beyond the control of the Government servant, which shall be recorded in writing.

(4) The period between the date of relief and the date of joining in the State Government may be regularised by grant of leave due and, if no such leave is due, the period may be regularised by grant of extraordinary leave.

(5) The relieving authority, before processing the case for sanction of retirement benefits, shall ascertain the date of joining by the Government servant in the State Government and accept the resignation of the Government servant from the date preceding the date of joining.

(6) Where a provision of the National Pension System and retirement gratuity and death gratuity similar to these rules exist in the State Government in which a Government servant is absorbed, he shall be entitled to exercise option either,-

(a) to receive retirement gratuity for the service rendered under the Central Government in accordance with sub-rule (1); or

(b) to count the service rendered under the Central Government in that State Government for grant of gratuity.

(7) Where a Government servant is absorbed in a State Government and exercises an option under clause (b) of sub-rule (6), on retirement from the State Government, the payment of gratuity for the entire service, including the service rendered in the Central Government, shall be made by that Government and no liability of proportionate gratuity shall be borne by the Central Government.”.

28. In the said rules, for rule 33, the following shall be substituted, namely:-

“33. Payment of gratuity in the case of missing Government servant.- (1) In the case of a Government servant who goes missing or a retired Government servant who goes missing without receiving the retirement gratuity admissible under sub-rule (1) of rule 22, the amount of retirement gratuity shall be payable to a member or members of the family in the manner and subject to the conditions applicable in the case of a Government servant who dies after retirement without receiving the retirement gratuity.

(2) Claims for payment of retirement gratuity shall be,-

(a) submitted in Form 4 to the Head of Office by the nominee or nominees or members of family eligible to receive the amount of gratuity, after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry.

(b) accompanied by an Indemnity Bond in Proforma- B along with a copy of the report lodged with the concerned Police Station and the report obtained from the police to the effect that the Government servant could not be traced despite all efforts made in that regard.

(3) In case of a Government servant who goes missing, the emoluments for retirement gratuity shall be determined in accordance with rule 22, based on the pay and emoluments on the last date on which he was on duty before he went missing or, if he was on leave, the date on which leave sanctioned to him expired.

(4) (a) The payment of the amount of retirement gratuity shall not be made before the expiry of a period of six months from the date of lodging of report with the concerned Police Station:

Provided further that if the payment of gratuity is delayed and the delay is attributable to administrative lapses or reasons, interest shall be payable for the period of delay beyond a period of six months from the date of submission of claim and responsibility shall be fixed for such delayed payment of gratuity, in accordance with rule 44.

(b) In case of a Government servant who goes missing, death gratuity shall become payable after the death of the Government servant is conclusively established or on expiry of a period of seven years from the date of lodging of the report with the police, whichever is earlier.

(c) The difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity shall be paid to the person or persons eligible for payment of death gratuity in accordance with these rules, not later than three months from the date of submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

(d) If the payment of difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity is delayed and the delay is attributable to administrative lapses or reasons, interest shall be payable for the period of delay beyond a period of six months from the date of submission of claim for difference between the amount of death gratuity and retirement gratuity.

(e) The Head of Office shall process the case in Form 5 for grant of retirement gratuity.

(5) The Head of Office shall assess all the Government dues outstanding against the Government servant and effect their recovery in accordance with rule 45 before sanctioning the payment of gratuity.

(6) Nothing in this rule shall apply in the case of a Government servant who disappears and against whom allegation of fraud or embezzlement or any other crime is under investigation or who has been charged or convicted for such crimes.

(7) No payment under this rule shall be authorised to be paid to a person or persons other than a member or members of the family eligible to receive that payment.”.

29. In rule 35, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) in case of retirement of a Government servant for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office shall write to the Directorate of Estates, immediately after the orders were issued for retirement of the Government servant who was or is in occupation of a Government accommodation (hereinafter referred to as allottee) for issuing a ‘No demand certificate.’.”.

30. In the said rules, in rule 41, -

(a) in sub-rule (2), for the words “two months”, the words, “one month from the date of submission of forms” shall be substituted;

(b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9) In cases where there is a delay in issue of sanction for payment of retirement gratuity, it shall be the responsibility of the Head of Office to ensure that a provisional gratuity is sanctioned in accordance with this rule.”.

31. In the said rules, in rule 42,-

(a) in sub-rule (1),-

(i) in clause (b), for the words, “three months”, the words “ forty five days” shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) While applying the requisite checks, the Accounts Officer shall verify the correctness of emoluments only for the period of twenty-four months preceding the date of retirement of a Government servant, and not for any period prior to that date.”;

(b) in sub-rule (2), after the words and figures “referred to in rule 45”, the words, brackets and figures “and the amount to be withheld, if any, as per the intimation of Directorate of Estates under sub-rule (5) of rule 46” shall be inserted;

(c) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4)(a) In case of pendency of departmental or judicial proceedings against a Government servant, the Head of Office shall forward the copy of the final order passed by the competent authority in such proceedings along with all relevant details to the Accounts Officer, not later than thirty days from the date of passing of the said order.

(b) On receipt of the copy of final order passed by the competent authority from the Head of Office, the Accounts Officer shall take further action to authorise the payment of gratuity to the retired Government servant in accordance with the order passed by the competent authority with regard to the departmental or judicial proceedings within thirty days of the date of receipt of the said order.”.

32. In the said rules, in rule 43, for the words “this rule”, wherever they occur, the words “these rules” shall be substituted.

33. In the said rules, in rule 44, for sub-rules (2), (3) and (4) and the Explanation, the following sub-rules shall be substituted, namely: -

“(2) Every case of delayed payment of gratuity (including provisional gratuity) in respect of employees of a Ministry or Department and the employees of its attached and subordinate offices shall be considered by the Secretary of that Ministry or Department or any other officer, not below the level of Joint Secretary to the Government of India, authorised by him for this purpose, and where the Secretary or the officer authorised by him is satisfied that the delay in the payment of gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, the said Secretary or the officer authorised by him shall sanction payment of interest.

(3)(a) The administrative Ministry or the Department or the office shall issue sanction for the payment of interest after the Secretary or the officer authorised by him has sanctioned the payment of interest under sub-rule (2).

(b) The payment of interest on delayed payment of gratuity shall be paid within a period of two months from the date on which payment of interest has been sanctioned by the Secretary or the officer authorised by him.

(4) In all cases where the payment of interest has been sanctioned by the Secretary of the administrative Ministry or the Department or the officer authorised by him, such Ministry or the Department or Office shall fix the responsibility and take disciplinary action against the Government servant or servants who are found responsible for the delay in the payment of gratuity on account of administrative lapses:

Provided that the payment of interest under sub-rule (3) shall be made without waiting for the outcome of the disciplinary proceedings, if any.

(5) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-rule (1), the period for which interest shall be payable for the delay in payment of gratuity shall be determined in the following manner, namely:-

(a) in the case of a Government servant who retires on superannuation, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement, up to the date of payment of gratuity;

(b) in the case of a Government servant who retires or is retired otherwise than on superannuation or is absorbed in a public sector undertaking or an autonomous body or dies during the service or after retirement, interest shall be payable from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement or absorption or death, as the case may be, up to the date of payment of arrears of gratuity;

(c) in the case of a Government servant to whom retirement gratuity was not paid on retirement in accordance with clause (b) of sub-rule (2) of rule 5 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and who is exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, interest shall be payable on retirement gratuity, from the date following the date of expiry of a period of three months from the date of retirement up to the date of payment of gratuity;

(d) in the case of a Government servant to whom retirement gratuity was not paid on retirement in accordance with clause (b) of sub-rule (2) of rule 5 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and despite him not having been fully exonerated of all charges on conclusion of such departmental or judicial proceedings, the competent authority decides to allow payment of retirement gratuity, either in full or in part, interest shall be payable on retirement

gratuity, from the date of expiry of a period of three months from the date on which the order for payment of gratuity is issued by the competent authority up to the date of payment of gratuity;

(e) in the case of a Government servant to whom gratuity was not paid on retirement in accordance with clause (b) of sub-rule (2) of rule 5 on account of departmental or judicial proceedings pending against him on the date of retirement and such departmental or judicial proceedings are dropped consequent upon his death, interest shall be payable on gratuity from the date of expiry of a period of three months from the date of death up to the date of payment of gratuity;

(f) where arrears of gratuity become payable to a Government servant on account of enhancement of the amount of gratuity paid on retirement consequent upon retrospective revision of emoluments or liberalisation in the provisions relating to grant of gratuity, interest shall be payable on gratuity to the Government servant from the date of expiry of a period of three months from the date of issue of the order revising the emoluments or liberalising the provisions relating to grant of gratuity, up to the date of payment of arrears of gratuity.” .

34. In the said rules, in rule 45, -

(a) in sub-rule (1), after the words “due for retirement”, the words “and by the Government servant who has retired or is retiring otherwise than on attaining the age of superannuation” shall be inserted;

(b) in Explanation (1), in clause (a), after the words “retirement of the allottee,” the words “subletting, unauthorised occupation, transfer to an ineligible office and dues or arrears in respect of electricity, water and PNG charge,” shall be inserted.

35. In the said rules, in rule 46,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1)(a) in the case of a Government servant who is due for retirement on superannuation, the Directorate of Estates, on receipt of intimation and details from the Head of Office under sub-rule (1) of rule 35 for issue of a ‘No Demand Certificate’, shall scrutinise its records and inform the Head of Office within a period of two months, if any licence fee was recoverable from the Government servant in respect of the period prior to eight months of his retirement;

(b) in the case of a Government servant who has retired or is retiring otherwise than on attaining the age of superannuation, the Directorate of Estates shall inform the Head of Office within a period of one month from the date of receipt of intimation and details from Head of Office under sub-rule (2) of rule 35, if any licence fee was recoverable from the Government servant up to the date of retirement;

(c) if no intimation in regard to recovery of outstanding licence fee is received by the Head of Office by the stipulated date, it shall be presumed that no licence fee was recoverable from the allottee in respect of the period preceding eight months of the date of his superannuation or up to the date of retirement in other cases.”.

(b) In sub-rule (2), before the words “the Head of Office”, the words “In the case of retirement on superannuation,” shall be inserted;

(c) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(7) The Directorate of Estates shall ensure that ‘No Demand Certificate’ shall be given to the Government employee within a period of fourteen days from the actual date of vacation of the Government

accommodation and the allottee shall be entitled to payment of interest (at the rate applicable to Public Provident Fund deposit determined from time to time by the Government of India) on the excess withheld amount of gratuity which is required to be refunded, after adjusting the arrears of license fee and damages, if any, payable by the allottee till the date of issue of 'No Demand Certificate' or the date of expiry of the period of fourteen days from the date of application for 'No Demand Certificate', whichever is earlier and the interest shall be payable by the Directorate of Estate through the concerned Accounts Officer of the Government employee from the date of application for the said certificate after vacation of the Government accommodation, up to the date of refund of excess withheld amount of gratuity.”;

(d) sub-rule (8) shall be omitted.

36. In the said rules, in rule 47,-

(a) in sub-rule (1), after the words “whichever is earlier”, the following shall be inserted, namely:-

“in the case of retirement on superannuation, and immediately on retirement or when the fact of retirement of the Government servant is known to the Head of Office, whichever is earlier, in the case of retirement otherwise than on superannuation”.

(b) in sub-rule (2), after the words “Government servant”, the words “in the case of retirement on superannuation, and within a period of thirty days after the date of retirement in the case of retirement otherwise than on superannuation” shall be inserted.

37. In the said rules, for rule 48, the following shall be substituted, namely:

“48. Obtaining of claims for death gratuity.- (1) Where the Head of Office has received an intimation about the death of a Government servant while in service, he shall ascertain whether any death gratuity is payable in respect of the deceased Government servant under rule 22 and, if so, the Head of Office shall ascertain,-

(a) (i) if the deceased Government servant had nominated any person or persons to receive the gratuity; and

(ii) if the deceased Government servant had not made any nomination or the nomination made does not subsist, the person or persons to whom the gratuity may be payable.

(b) the Head of Office shall, then, address the person concerned in Form 8, for making a claim in Form 9.

(2)(a) if on the date of death, the Government servant was an allottee of Government accommodation, the dues pertaining to outstanding licence fee payable in respect of the period before the date of death of the Government servant shall stand waived off.

(b) any dues relating to damages in respect of the Government accommodation shall be recovered from the death gratuity payable to the family and if the Government accommodation is retained by the family of the deceased Government servant, the licence fee for the month in which the Government servant has died and the first three months thereafter, shall not be recovered from the family.

(c) the Head of Office shall address the Directorate of Estates within a period of seven days of the date of receipt of intimation or information of death of a Government servant for the issue of 'No Demand Certificate' in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 54.

(3) Where the Head of Office has received an intimation that a Government servant has gone missing, he shall ascertain whether any gratuity is payable in respect of the missing Government servant in accordance with the provisions of rule 33.

(4)(a) in the case of a missing Government servant, the Head of Office shall take action in accordance with sub-rule(1) in respect of the missing Government servant and shall address the member of the family eligible to receive the amount of gratuity advising him or her for making a claim for gratuity in Form 4.

(b) the Head of office shall inform the eligible members of the family that claims for payment of gratuity shall be submitted to the Head of Office after a report has been lodged with the concerned Police Station in the form of a First Information Report or a Daily Diary Entry or a General Diary Entry and a report has been obtained from the police to the effect that the Government servant could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

(c) the claims shall be accompanied by an Indemnity Bond in Proforma B, a copy each of the report lodged with the concerned Police Station and a copy of the report obtained from the police to the effect that the Government servant could not be traced so far despite all efforts made in that regard.

(d) the Head of Office shall not wait for a death certificate issued by an appropriate authority and shall initiate action under this rule on receipt of an intimation or credible information, in any form, about the death of the Government servant.”.

38. In the said rules, in rule 49, -

(a) in sub-rule (1), -

(i) in clause (a), after the words, “date of death”, the words “or disappearance” shall be inserted;

(ii) in clause (b), after the words, “of the deceased”, the words “or missing” shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), in clauses (a) and (b), after the words “date of death”, the words “or disappearance” shall be inserted.

39. In the said rules, in rule 50, in clause (ii), for the words “six months”, the words “three months” shall be substituted.

40. In the said rules, in rule 53,-

(a) in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that while applying the requisite checks, the Accounts Officer shall confine the verification of the correctness of emoluments for a maximum period of one year preceding the date of death or disappearance of the Government servant.”;

(b) in sub-rule (3), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) If there are more than one member of the family eligible to receive gratuity and if a member of the family has not submitted his claim for gratuity, the case for drawal of gratuity in his favour may be processed after his claim has been received and the case of other eligible members of the family for sanction of gratuity may be processed without linking it with the case of the family member who has not submitted the claim.”.

41. In the said rules, in rule 54, -

(a) in sub-rule (1),-

(I) in clause (i),-

(i) after the words “date of death”, the words “or disappearance” shall be inserted;

(ii) for the words and brackets “in duplicate (one copy marked to the Rent Wing and the second to the Allotment Wing)”, the words “to the Directorate of Estates” shall be substituted;

(iii) after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(h) while calculating the dues in respect of the Government accommodation, the dues pertaining to outstanding licence fee payable in respect of the period before the date of death of the Government servant shall be waived off and if the Government accommodation is retained by the family of the deceased Government servant after his death, the licence fee for the month in which the Government servant has died and the first three months thereafter, shall not be recovered from the family.”;

(II) in clause (iii), for the words “a period of four months”, the words “permissible concessional period” shall be substituted;

(III) in clause (iv), for the words “two months”, the words “one month” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words “one month”, the words “fifteen days” shall be substituted.

[F. No. 59/03/2019-P&PW(B)]

DHRUBAJYOTI SENGUPTA , Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 658(E), dated the 23rd September, 2021.